न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

नं. मु. :– 55/2024

निर्णय दिनांक :– 16/01/2025

1. मनोज कुमार पुत्र रूपदास जाति स्वामी निवासी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

..... प्रार्थी

बनाम

1. चम्पा देवी पत्नि रूपदास जाति स्वामी निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. मदन पुत्र रूपदास जाति स्वामी निवासी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. मंजू पुत्री रूपदास जाति स्वामी निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. राजेन्द्र पुत्र रूपदास जाति स्वामी निवासी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. संजू पुत्री रूपदास जाति स्वामी निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू राजस्थान

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

उपस्थित :–

1. अरविन्द चौधरी व लालचन्द जाट एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 06

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 05 के संयुक्त खातेदारी का एक खेत रोही ग्राम कोठीनडा तहसील बीदासर में खेत खाता नम्बर नया 82, पुराना 19, खसरा संख्या 252/143 तादादी 3.6232 हेक्टेयर व प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 के संयुक्त खातेदारी का खेत खाता संख्या नया 10, पुराना 17, खेत खसरा संख्या 13 तादादी 1.8464 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ढाणी स्वामीयान् तहसील बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी बीदासर, (चूरू)

जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत है। जिसकें खातेदारी रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम किशनदास पुत्र रूपदास अंकित है। जबकी प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम मनोज कुमार पुत्र रूपदास जाति स्वामी निवासी बीदासर है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, दो बैंक पास बुक भारतीय स्टैट बैंक शाखा बीदासर, एलआईसी बोन्ड रसीद में प्रार्थी का नाम मनोज कुमार पुत्र रूपदास अंकित है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम किशनदास पुत्र रूपदास व अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मनोज कुमार पुत्र रूपदास होने के कारण प्रार्थी को बैंक ऋण लेने व सरकारी योजना का अनुदान प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड में अपना नाम किशनदास पुत्र रूपदास की जगह अपना सही एंव शुद्व नाम मनोज कुमार पुत्र रूपदास का संशोधन कराये। प्रार्थी का गलत चला आ रहा नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही हरिनगर तहसील बीदासर में स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमान्‌जी के न्यायालय को प्राप्त है आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 05 ने समन तामिल होने के बावजूद भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नही आये ना ही अपने प्रतिनिधी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब पेशं किया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 कि पूर्ण संज्ञान के बावजुद अनुपस्थिती के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 के विरूद्व प्रकरण मे एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 की जवाब देही का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 06 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार बीदासर ने अपना लिखित मे जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक व एलआईसी बोण्ड रसीद आदि में प्रार्थी का नाम मनोज कुमार पुत्र रूपदास अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम किशनदास पुत्र रूपदास अंकित है। हमनें पत्रावली का भलीभांति ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम शुद्वी से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक व एलआईसी बोण्ड रसीद आदि में प्रार्थी का नाम मनोज कुमार पुत्र रूपदास अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम किशनदास पुत्र रूपदास अंकित है जिसको प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्व किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर, चूरू)

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर रोही ग्राम कोठीनडा के खाता नम्बर नया 82, पुराना 19, खसरा संख्या 252/143 तादादी 3.6232 हेक्टेयर व रोही ग्राम ढाणी स्वामीयान् के खेत खाता संख्या नया 10, पुराना 17, खेत खसरा संख्या 13 तादादी 1.8464 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम किशनदास पुत्र रूपदास को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का दस्तावेजी शुद्व एंव सही नाम मनोज कुमार पुत्र रूपदास दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 16/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर